RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ५, अंक ९] गुरुवार, जून ६, २०१९/ज्येष्ठ १६, शके १९४१ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २० मई २०१९।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIII OF 2019.

AN ORDINANCE

TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE RESERVATION (OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND FOR APPOINTMENTS IN THE PUBLIC SERVICES AND POSTS UNDER THE STATE) FOR SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES (SEBC) ACT, 2018.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३, सन् २०१९।

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े प्रवर्ग (एसइबीसी) के लिए आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य के अधीन लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के लिए अधिनियम, २०१८ में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े प्रवर्गों (एसइबीसी) के लिए आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण) अधिनियम, २०१८ में संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है। सन् २०१८ का महा. ६२।

अब इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े प्रवर्गों (एसइबीसी) के लिए आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण) (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१९ कहलाए।

(२) यह ३० नवम्बर २०१८ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् २०१८ का महा. ६२ की धारा १६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े प्रवर्गों (एसइबीसी) के लिए आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण) अधिनियम, २०१८ (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा १६ की, उप-धारा (२) के स्पष्टीकरण में,– सन् २०१८ का महा. ६२।

(क) खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा और हमेशा के लिए निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :– सन् २०१८ का महा. ६२।

"(एक-क) सरकारी महाविद्यालयों में राज्य कोटा सीटों और निजी महाविद्यालयों में सभी सीटों में प्रवेश पाने के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सहित-प्रवेश परीक्षा और अन्य पात्रता निकषों के आधार पर प्रवेश दिए जाने के मामले में, किसी न्यायालय के किसी आदेश, न्यायनिर्णय या निदेशन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संबंधित राज्य कोटा के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को या राज्य सीईटी आयुक्त को आवेदन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक समाप्त हो चुका है ;

या" ;

(ख) खण्ड (दो) में, "प्रवेश परीक्षा के आधारपर से अन्यथा" शब्दों के पश्चात्, "खण्ड (एक) में निर्देशित या राष्ट्रीय पात्रता-सहित-प्रवेश परीक्षा या खण्ड (एक-क) में निर्देशित अन्य पात्रता निकष" शब्द, कोष्टक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे और हमेशा के लिए निविष्ट किए गए समझे जायेंगे।

विधिमान्यकरण।

३. किसी विधि, नियम, दस्तावेज या, प्रपत्र के प्रतिकूल में या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, आदेश या निदेशन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में और महाराष्ट्र असहायता प्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा (विनियमन या प्रवेश या फीस) अधिनियम, २०१५ के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रवेश करने या लेने या सीट आबंटित करने (उस पर अपनाई गई किसी प्रक्रिया समेत) समेत कोई की जानेवाली कार्यवाही मूल अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर प्रारम्भित अवधि के दौरान और इस अध्यादेश के प्रख्यापन के दिनांक पर समाप्त होने के दौरान विधिमान्य होगी और मूल अधिनियम के अनुसरण में और उसके लिए लागू तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के लिए विधिमान्य ली गई, की गई या बनाई गई समझी जायेगी। सन् २०१५ का महा. २८।

४. संदेह का निराकरण करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, धारा ३ के उपबंधों की दृष्टि में,–

(क) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए सभी कृत्य या कार्यवाहियाँ या प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रवेश सभी प्रयोजनों के लिए किए गए समझे जायेंगे, और हमेशा विधि के उपबंधों के अनुसरण में और नियामक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किए गए या लिए गए समझे जायेंगे ;

(ख) सरकारी महाविद्यालयों में राज्य कोटा सीटों में और निजी महाविद्यालयों में सभी सीटों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के संबंध में किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण, अधिकारी या प्राधिकरण के समक्ष विधि के अनुसरण में मानों कि **राजपत्र** में, इस अध्यादेश के प्रकाशन के दिनांक के पूर्व तत्काल कोई वाद अपील या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या बनाई रखी या जारी रखी नहीं जायेगी ;

(ग) सरकारी महाविद्यालयों और अन्य निजी महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सहित-प्रवेश परीक्षा और अन्य पात्रता निकषों के आधार पर कोई प्रवेश मानों कि **राजपत्र** में, इस अध्यादेश के प्रकाशन के दिनांक से तत्काल पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अधिकारी या अन्य प्राधिकरण किसी, प्रवेश के लिए कोई डिक्री को प्रवृत्त या कोई आदेश निदेशित नहीं करेगी।

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे प्रवर्ग (एसइबीसी) के लिए आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश और लोकसेवाओं तथा राज्य के अधीन पदों की नियुक्ति के लिए) अधिनियम, २०१८ (सन् २०१८ का महा. ६२) महाराष्ट्र राज्य में के सामाजिक और शैक्षणिक पिछडे प्रवर्गों को उनकी उन्नति के लिए और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य की शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश के लिए आरक्षण और राज्य की लोक सेवाओं और राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति में पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करता है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) यह उपबंध करता है कि, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में, और उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अन्य किसी बात के होते हुए भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्देशित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्यथा, निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो, कुल सीटों में से सोलह प्रतिशत सीटें मराठा समुदाय समेत सामाजिक और शैक्षणिक पिछडे प्रवर्गों (एसईबीसी) के लिए अलग से आरक्षित रखी जायेगी।

३. उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल, शैक्षणिक वर्ष सन् २०१९-२० के लिए **एसइबीसी** प्रवर्ग को चिकित्सा और दंतचिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आरक्षण कार्यान्वित हो जाता जब कि सरकारी महाविद्यालयों में राज्य कोटा सीटों और निजी महाविद्यालयों में सभी सीटों में प्रवेश मुहैया किया जाता था। तथापि, सम्माननीय मुंबई उच्चतर न्यायालय, नागपूर बेंच ने, डॉ. संजना डी/ओ नरेंद्र वडेवले बनाम महाराष्ट्र राज्य (सन् २०१९ याचिका नं. २७९०) के मामले में, देखिए उनका निर्णय और आदेश दिनांकित २ मई २०१९, **अन्य बातों के साथ साथ** यह घोषित किया है कि, एसईबीसी उम्मीदवारों के आरक्षण के लिए २७ मार्च २०१९ पर प्रकाशित पुनरीक्षित पद के परिवेश एसईबीसी अधिनियम, २०१८ की धारा १६(२) का आदेश मनमाना, अतिक्रमण करनेवाला और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न होकर वह असमान प्रतियोगिता का सृजन करनेवाला और विधि के नियमों के सिद्धांतो का उल्लंघन करनेवाला कहा है। सम्माननीय उच्चतर न्यायालय ने, आगे यह निदेशित किया है कि, एसईबीसी उम्मीदवारो का प्रवर्ग विद्यमान प्रवेश प्रक्रिया में एसईबीसी आरक्षण के सीमित हेतु को प्रभावित नहीं करेगी और प्रवेश एसईबीसी अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व, प्रवृत्त लागू विधि, नियमों और आदेश के अनुसार में परिचालित होगी और पूरी की जायेगी।

४. राज्य सरकार द्वारा सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सम्माननीय उच्चतर न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध में दाखिल विशेष इजाजत याचिका क्रमांक सन् २०१९ की ११८१३ से ११८१५, वह सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निकासित की गई है। देखिए, उनकी दिनांक ९ मे २०१९ का आदेश।

राष्ट्रीय पात्रता-सहित-प्रवेश परीक्षा (नीट) (नीट-पी जी और नीट-एमडीएस नामक) भारत में सरकारी संस्थाओं, निजी संस्थाओं और समझे गए विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंतचिकित्सा पाठ्यक्रम की सभी सीटों के प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिचालित की जाती है।

नीट-पीजी पात्रता-सहित-क्रमसूची परीक्षा, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६ की धारा (१०) के अनुसार विभिन्न एमडी/एम.एस. और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए एकल प्रवेश परीक्षा के रूप में विहित की गई है।

नीट-पीजी पीजी पाठ्यक्रम के लिए एकल खिडकी प्रवेश परीक्षा है। सन् २०१७ से प्रभावी, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६ के अनुसार एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को प्रवेश लेने के लिए, कोई अन्य प्रवेश परीक्षा, या तो राज्य स्तर या संस्था पर वैध नहीं होगी।

नीट-पीजी २०१९ के बारे में, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली ने २ नवम्बर २०१८ पर सूचना बुलेटीन उपलब्ध किया था और २ नवम्बर से २२ नवम्बर २०१८ तक छात्रों से ऑनलाईन आवेदन पत्र मँगाए गए और ६ जनवरी २०१९ को परीक्षा परिचालित की गई, तथा ३१ जानेवारी २०१९ को परिणाम घोषित किए गए। उक्त सूचना बुलेटिन के परिच्छेद ४ में भारत में ५० प्रतिशत कोटा पदों, केंद्र सरकार के चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाएँ, संसद के अधिनियम द्वारा संस्थित विश्वविद्यालय और समझे गए विश्वविद्यालय के लिए पदों की उपलब्धता परामर्श आदि के लिए छात्रों को चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क करने के लिए अनुदेशित किया गया था। उक्त बुलेटिन के परिच्छेद में एमसीसी, एडीजी (एमई) स्वास्थ्य सेवाएँ महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संपर्क ब्योरे और प्रयोजन के लिए संबंधित ब्योरे विवरणित किए गए थे। उक्त सूचना बुलेटिन के परिच्छेद ५ में, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों की राज्य कोटा सीटों/प्रवेश के लिए पात्रता, सीटों की उपलब्धता, आरक्षण नीतियाँ, परामर्श आदि के लिए संबंधित राज्य परामर्श प्राधिकरण को संपर्क करने के लिए भी छात्रों को सूचित किया गया था। भारतीय चिकित्सा परिषद ने, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६ (सन् १९५६ का १०२) की धारा ३३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमन, २००० को संशोधित किया है, देखिए दिनांक २० फरवरी २०१८ की उनकी अधिसूचना क्रमांक एमसीआय-१८ (१)/२०१७-एमइडी/१७४६२९ और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (व्यापक विशेषताएँ) के लिए अकादमिक वर्ष २०१८-१९ से प्रवेश अनुसूची घोषित कर दी गई है, उक्त प्रवेश अनुसूची में भारतीय चिकित्सा परिषद ने माने गए विश्वविद्यालय और केंद्रिय संस्थाओं के लिए पूरे भारत के कोटा के लिए केंद्रिय परामर्श और सरकारी महाविद्यालयों और निजी महाविद्यालयों में राज्य कोटा के लिए राज्य परामर्श का प्रवेश कार्यक्रम मुहैया किया है। उक्त सूचना बुलेटिन से और उक्त प्रवेश अनुसूची से यह स्पष्ट है कि पूरे भारत का कोटा और राज्य के कोटे के आधार पर आबंटित सीटों के प्रवेश के लिए चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रवेश की भिन्न प्रक्रिया उपबंधित की गई है।

उसी तरह का प्रवेश कार्यक्रम, दंत विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए भारतीय दंतचिकित्सा परिषद के निदेशन के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा भी उपबंधित किया गया है।

६. अतः, सरकारी महाविद्यालयों में राज्य कोटा पदों और निजी महाविद्यालयों में सभी पदों के लिए प्रवेश के लिए की वास्तविक प्रक्रिया केवल भारतीय चिकित्सा परिषद या, यथास्थिति, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गये विनियमों में अंतर्विष्ट प्रवेश की अनुसूची के अनुसार, उक्त परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही शुरू होगी, जिसमें प्रत्येक दौर के चरण में केंद्रिय कोटा की प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

७. उपरोक्त की दृष्टि में, शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० के लिए एसईबीसी वर्ग को चिकित्सा और दंतचिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रवेश में आरक्षण को लागू करने के लिए उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन करते समय कठिनाई का सामना करना पड रहा है।

८. राज्य सरकार का यह उद्देश है कि निष्काम भाव की दृष्टि से, सन् २०१८ के उक्त अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करना और शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० के लिए प्रवेश के एसइबीसी उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण का उपबंध करना है।

९. यह सुनिश्चित करना इष्टकर समझा गया है कि, सन् २०१८ के उक्त अधिनियम को अधिनियमित करने का उद्देश, सन् २०१८ के अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक के पश्चात्, सभी प्रवेश प्रभावित होने के संबंध में, **एसइबीसी** प्रवर्ग के प्रवेश में आरक्षण लागू करने के लिए अधिनियम की धारा १६ की उप-धारा (२) के स्पष्टीकरण में, यथोचित खण्ड की निविष्टि द्वारा शीघ्र उपबंध करने द्वारा आशय प्रकट करता है। यह भी सुनिश्चित करना इष्टकर समझा गया है कि, चिकित्सा और दंतचिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में, शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० से **एसइबीसी** प्रवर्ग के पक्ष में आरक्षण दिया जायेगा और राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षा या अन्य कोई राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के उत्तीर्ण होने की आवश्यकता के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों समेत अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए भी एसइबीसी प्रवर्ग के पक्ष में आरक्षण दिया जाना है।

१०. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र ..... **एसइबीसी** के आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश के लिए सीटों का और लोक सेवाओं और राज्य के अधीन पदों में नियुक्ति के लिए) अधिनियम, २०१८ (सन् २०१८ का महा. ६२) में संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित २० मई २०१९।

चे. विद्यासागर राव,

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

शिवाजी दौंड,

सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.